कार्यालय– प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक–**857** /दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 21.04.2021

न्यायिक जिला होशंगाबाद में कोविड–19 के संक्रमितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2021 की प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 30 अप्रैल 2021 के प्रातः 06:00 बजे तक संपूर्ण जिला होशंगाबाद में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी पूर्व में जारी एस.ओ.पी. क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा विविध आदेश क्रमांक–853/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 21.04.2021 द्वारा दिनांक 22, 23, 26, 27, 28, 29 अप्रैल 2021 को जिला होशंगाबाद के समस्त न्यायालयों में (परिवार न्यायालय एवं श्रम न्यायालय सहित) अकार्य दिवस घोषित किया गया है। इसी प्रकार इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी संशोधित विविध आदेश क्रमांक 843/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 09.04.2021 द्वारा दिनांक 10.04.2021 एवं 24.04.2021 दिन शनिवार को अकार्य दिवस घोषित किया गया था। कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए दिनांक 22, 23, 26, 27, 28, 29 अप्रैल 2021 को जिला होशंगाबाद के न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार एक जिला न्यायाधीश एवं एक सिविल न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को अधिकृत किया जाता है। **उक्त दिनांक 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 अप्रैल 2021 को विशेष न्यायाधीश होशंगाबाद दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में एन.डी.पी.एस. एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट से संबंधित प्रकरणों की जमानत, रिमांड व अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित रहेगें।**

परिवार न्यायालय एवं श्रम न्यायालय, होशंगाबाद से संबंधित कोई आवश्यक कार्य का आवेदन क्रमशः उनके ई–मेल devnarayan.shukla@mphc.in एवं jisumitsharma@gmail.com पर भेजकर उसकी सूचना संबंधित न्यायाधीश को मोबाइल पर देना अनिवार्य होगा। वे स्वविवेकानुसार उक्त आवेदन का निराकरण ऑनलाईन या अन्य पद्धति से कोविड सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हुये करेंगें।

जिला मुख्यालय होशंगाबाद हेतु डी.जे. एवं जे.एम.एफ.सी. की ड्यूटी–

क्र0	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	दिनांक	न्यायालय की सुनवाई का समय
1.	श्री डी.एस. चौहान द्वितीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद मोबाईल– 9009533900	22, 23 एवं 29 अप्रैल 2021	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक
2.	श्री जे.पी. सिंह विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) होशंगाबाद	26, 27 एवं 28 अप्रैल 2021	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक

	मोबाईल– 9425475435		
3.	श्री नीरज कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होशंगाबाद मोबाईल– 9479488031	22, 26, एवं 27 अप्रैल 2021	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक
4.	श्री विजय कुमार पाठक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होशंगाबाद मोबाईल– 8959584469	23, 28 एवं 29 अप्रैल 2021	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक
5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद	रिजर्व (अग्रिम आदेशानुसार)	——
6.	सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होशंगाबाद	रिजर्व (अग्रिम आदेशानुसार)	——
7.	श्री अमोल सांघी, न्यायिक मजिस्ट्रेट होशंगाबाद	रिजर्व (अग्रिम आदेशानुसार)	——
8.	श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट होशंगाबाद	रिजर्व (अग्रिम आदेशानुसार)	——

तहसील न्यायालय इटारसी हेतु ए.डी.जे. एवं जे.एम.एफ.सी. की ड्यूटी–

क्र0	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	दिनांक	न्यायालय की सुनवाई का समय
1.	श्री संजय कुमार पाण्डेय तृतीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, इटारसी मोबाईल– 9425384447	22, 28 एवं 29 अप्रैल	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक
2.	श्रीमती सविता जड़िया, द्वितीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश इटारसी मोबाईल 9425868599	23, 26 एवं 27 अप्रैल	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक
3.	श्री देवेश उपाध्याय, प्रथम जिला एवं सेशन न्यायाधीश इटारसी मोबाईल 9826244017	रिजर्व (अग्रिम आदेशानुसार)	———
4.	सुश्री नविश्ता कुरैशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी मोबाईल– 9425700066	22, 23 एवं 26 अप्रैल 2021	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक
5.	सुश्री कृतिका सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी मोबाईल– 8989820101	27 से 29 अप्रैल 2021	दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक

6.	श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल, जे.एम.एफ.सी. इटारसी	रिजर्व (अग्रिम आदेशानुसार)	---
7.	श्री निवेश कुमार जायसवाल, जे.एम.एफ.सी. इटारसी	रिजर्व (अग्रिम आदेशानुसार)	---

तहसील न्यायालय सिवनी मालवा, सोहागपुर एवं पिपरिया के संबंध में–

1. तहसील न्यायालय सिवनीमालवा में उपरोक्तानुसार घोषित समस्त दिनांकों को श्री यशवंत मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा मोबाईल 9407284993 दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य संपादित करेंगे।

2. तहसील न्यायालय सोहागपुर में उपरोक्तानुसार घोषित समस्त दिनांकों को श्री मनीष अनुरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर मोबाईल 9039986178 दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य संपादित करेंगे।

3. कुछ न्यायिक अधिकारीगण के अस्वस्थ्य होने या होम क्वारेंटाईन होने के कारण उनकी डियूटी नहीं लगायी जा रही है।

4. पिपरिया एवं सोहागपुर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अनुपस्थित होने के कारण उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादन ड्यूटी पर उपस्थित जिला एवं सेशन न्यायाधीश, इटारसी द्वारा किया जाएगा। **श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल जिला न्यायाधीश सोहागपुर के अपने कार्य पर उपस्थित होने के उपरांत पिपरिया एवं सोहागपुर के आवश्यक कार्य का संपादन उनके द्वारा किया जायेगा।** इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के अनुपस्थित होने के कारण उनके न्यायालय का कार्य संपादन श्री मनीष अनुरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर द्वारा किया जाएगा।

5. दिनांक 24.04.2021 को पूर्व से घोषित अकार्य दिवस के अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य संपादन हेतु विविध आदेश क्रमांक 849 होशंगाबाद दिनांक 14.04.2021 द्वारा लगायी गयी ड्यूटी अनुसार न्यायाधीशगण कार्य करेंगे।

अन्य निर्देश–

1. उपरोक्तानुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशों के अध्याधीन होगी।

2. उक्त अवधि में यथासम्भव समस्त अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई व्ही. सी. के माध्यम से की जाएगी। पक्षकार/अधिवक्तागण जमानत व अन्य आवेदन पत्र ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर सकेंगे।

3. उपरोक्तानुसार नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार अपने स्टाफ को कार्य हेतु उपस्थित रहने बावत् निर्देशित करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय की एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 के अनुसार यथा संभव 50 प्रतिशत स्टाफ को बारी–बारी से बुलाया जाना अपेक्षित है।

4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग उक्त अवधि में एवं अन्य अवकाश अवधि में फाईलिंग, ई–मेल एवं अन्य कार्य हेतु एक कर्मचारी की डियूटी सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम

असिस्टेंट या अन्य उपयुक्त कर्मचारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु उपस्थित रहने बावत् निर्देशित करेंगे तथा जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम असिस्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे।

6. समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे तथा अपना मोबाईल फोन चालू रखेंगे तथा उन्हें दूरभाष या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होने वाले निर्देशों का तत्काल/अविलंब पालन सुनिश्चित करेंगे।

7. समस्त न्यायिक अधिकारीगण सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कर्मचारी अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर न जाए। समय-समय पर संबंधित न्यायाधीशगण/प्रभारी अधिकारी अनुभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण की व्हाट्सएप की लाईव लोकेशन आहूत कर सकेंगें।

8. उपरोक्तानुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु नियुक्त न्यायिक अधिकारीगण में से किसी के भी अनुपस्थित हो जाने की दशा में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन पत्रक अनुसार संबंधित अधिकारी उक्त आवश्यक कार्य संपादित करेंगे। होशंगाबाद मुख्यालय या इटारसी में उक्त अकार्य दिवस में जिन न्यायिक अधिकारीगण की डियूटी लगायी गयी है यदि वे किसी अपरिहार्य कारण से नियत दिनांक को अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होने में असमर्थ हो जाते हैं तो अन्य समकक्ष न्यायाधीश से सामंजस्य स्थापित कर उनका नियत समय में न्यायालय में आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे और इसकी लिखित सूचना कार्यालय को देंगे।

9. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग उक्त अवधि में साफ-सफाई एवं सैनेटाईजिंग कार्य हेतु एक या दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की डियूटी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

sd/-
आलोक अवस्थी
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृ0क्र0 858 /दो-1-8/19 **होशंगाबाद दिनांक 21.04.2021**

प्रतिलिपि-

1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2- समस्त न्यायाधीशगण, जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

3- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

4- कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

5- लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)

6- जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद (म.प्र.)

7- अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

8– प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

9– जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने बावत् प्रेषित्।

10– न्यायाधीश श्रम न्यायालय होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट होशंगाबाद की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि वह समस्त संबंधितों को विविध आदेश की प्रति ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर जिला न्यायालय होशंगाबाद की वेबसाईड पर अपलोड करे।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)